पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 262/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 24.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01.थाना जहानागंजः सरकारी खदान से 10 बोरी चावल चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2024 को वादी श्री रामनवल कनौजिया S/O स्व0 नन्हकू राम ग्राम नेतपुर पो0 बड़हलगंज जहानागंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरे गांव के जिनोद यादव S/O रामवृक्ष यादव व संदीप यादव व मनीष यादव उक्त सभी लोग मेरे गोदाम जो मेरे बाग मे है दिनांक 14.06.2024 की रात्रि मे गोदाम का करकट हटाकर सरकारी खादान्न 10 बोरी चावल चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 303/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम जिनोद यादव , संदीप यादव व मनीष यादव के पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सुधांशु मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 24.8.24 को उ.नि. सुधाशु मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र हवलदार यादव निवासी ग्राम नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को बड़हलगंज बाजार से समय करीब 10.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना देवगांवः से अवैध असलहा के साथ अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक- 23.08.2024 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह के द्वारा कोटाबुजुर्ग की तरफ जाने वाली पक्की सड़क तिराहे पर आने जाने वाले वाहनो व व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध असलहा व कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम वीरबहादुर पुत्र जगरनाथ निवासी जिरिकपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष बताया तथा बताया कि आप लोगों को देखकर पकड़े जाने के डर से मुड़ाकर भागना चाह रहा था। पकड़े गये व्यक्ति वीरबहादुर पुत्र जगरनाथ उपरोक्त का नियमानुसार जामालाताशी ली गई तो 01 देशी तमन्चा .315 बोर तथा 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति को अपराध का बोध कराते हुए समय 17.35 बजे हिरासत पुलिस व बरामद तमन्चा व कारतूस कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अभियुक्त वीरबहादुर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना निजामाबादः अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.24 उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गन्धुवई गाँव के कोल्ड स्टोरेज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया कि टार्च की रोशनी मे देखा गया तो वह अपने हाथ मे एक सफेद झोला लिया था।नजदीक आने पर रोका टोका गया तो पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हमराही की मदद से रोड़ पर कोल्ड स्टोरेज के सामने समय करीब 9.15 PM पर पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो अपना नाम मोनू पुत्र रामचरन निवासी गन्धवई (नौरंगाबाद) थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया।अभियुक्त के पास से 01 किग्रा 300 ग्राम गांजा सफेद रंग के झोले से बरामद हुई। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 411/24 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04. थाना सरायमीर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.24 को आवेदिका/पीडिता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वर्ष 2019 में आनन्द कुमार पुत्र सुबाष निवासी निजामुद्दीनपट्टी (सेन्दूरी) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ लब मैरिज शादी कोर्ट में किया गया था। शादी के एक वर्ष तक अपने साथ रखा उसके बाद वह मुम्बई चला गया और किसी लड़की के साथ रहने लगा और मुझे गाली गलौज और मारने पीटने लगा जब वादिनी मुकदमा यह बात अपने सास व चाची से बताया तो उन लोगो ने कही कि घर की बात घर में ही रहने दो और तुम अपने देवर अमित कुमार पुत्र सुबाष के साथ रहने लगी। हम लोग पति- पत्नी की तरह रहे जिसे मुझे डेढ महीना का एक बच्चा है। जब मैने अपनी सास विमला देवी से हमारी शादी के लिए कहाँ तो बोल रही है। कि हम तुमको अपने घर में नहीं रखेगे और न ही अपने लड़के से शादी करायेगे। मेरे देवर द्वारा मेरे साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 448/24 धारा 376/323/504/506/120बी भादवि बनाम अमित गौतम पुत्र सुबाष ग्राम निजामुद्दीनपट्टी (सेन्दुरी) थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 24.08.2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमित गौतम पुत्र सुबाष ग्राम निजामुद्दीनपट्टी (सेन्दुरी) थाना सरायमीर आजमगढ़ को बस्ती बाजार के पास से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।